बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक– पि0व0/4/वि0यो0–22–04/2022– 112, पटना, दिनांक– 12/10/2026

प्रेषक,

ऋषि कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– विभागान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए राज्य के 06 जिलों यथा– नवादा, अरवल, बेगूसराय, गोपालगंज, किशनगंज एवं पटना (अथमलगोला) में स्थित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में भौतिकी, रसायनशास्त्र एवं जीवविज्ञान प्रयोगशाला के Turnkey basis पर अधिष्ठापन हेतु प्रति विद्यालय रू0 30,00,000/– की दर से कुल राशि रू0 1,80,00,000/– (रू0 एक करोड़ अस्सी लाख) मात्र की स्वीकृति।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–28 दिनांक–20.03.2026

आदेशः स्वीकृत।

2– पूर्व में उपर्युक्त प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के द्वारा विभागान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए राज्य के 08 जिलों यथा– अररिया, नवादा, अरवल, बेगूसराय, गोपालगंज, किशनगंज, बक्सर एवं पटना (अथमलगोला) में स्थित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में भौतिकी, रसायनशास्त्र एवं जीवविज्ञान प्रयोगशाला के Turnkey basis पर अधिष्ठापन हेतु प्रति विद्यालय रू0 30,00,000/– की दर से कुल राशि रू0 2,40,00,000/– (रू0 दो करोड़ चालीस लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

3–उक्त स्वीकृत्यादेश में संबंधित विद्यालयों में प्रयोगशाला अधिष्ठापन हेतु निर्गत दिशा–निर्देश से संबंधित कंडिका–3(क)(ii) में आवश्यक उपकरणों के क्रय एवं अधिष्ठापन कार्य हेतु बाह्य एजेंसी का चयन जिला क्रय समिति द्वारा वित्त विभागीय नियमों एवं दिशा–निर्देशों के अनुरूप कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त के अनुरूप स्वीकृत्यादेश की कंडिका–05 के अनुसार स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया था।

4–उक्त स्वीकृति के आलोक में 02 जिलों यथा–अररिया एवं बक्सर जिलों में प्रयोगशाला अधिष्ठापन के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

5–शेष 06 जिलों यथा– नवादा, अरवल, बेगूसराय, गोपालगंज, किशनगंज एवं पटना (अथमलगोला) में आवासीय विद्यालयों में अपरिहार्य कारणों से राशि की निकासी नहीं की जा सकी थी।

6–इसी बीच विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि शेष बचे 06 जिलों में आवासीय विद्यालयों में प्रयोगशाला अधिष्ठापन का कार्य जिला क्रय समिति के माध्यम से न कराकर बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना के माध्यम से कराया जाना है।

7–उपर्युक्त वर्णित स्थिति एवं कंडिका–06 में लिये गये निर्णय के आलोक में विचाराधीन 06 आवासीय विद्यालयों के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–28 दिनांक–20.03.2026 की कंडिका–3(क)(ii) तथा कंडिका–05 को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता हैः–

''सभी संबंधित आवासीय विद्यालयों में प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु संलग्न सांकेतिक सूची के अनुसार आवश्यक उपकरणों का क्रय एवं अधिष्ठापन कार्य के लिए एक उपयुक्त बाह्य एजेंसी का चयन किया जायेगा। एजेंसी का चयन बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना के माध्यम से वित्त विभागीय नियमों एवं दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। चयनित एजेंसी के द्वारा संबंधित आवासीय विद्यालयों में निर्धारित उपकरणों की आपूर्ति तथा अधिष्ठापन का कार्य Turnkey basis के आधार पर किया जायेगा। किसी एक आवासीय विद्यालय में प्रयोगशाला स्थापना का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होने एवं कार्य की पुष्टि के पश्चात् बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना के द्वारा वित्त विभागीय नियमानुसार एजेंसी को भुगतान किया जायेगा।'' तथा

P.T.O

"स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी किऐ जाने के पश्चात इसे बही अंतरण (Book Transfer) के माध्यम से बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना के पी0एल0 खाता सं0–PTSPLA007 में Ledger Name - Operation & Maintenance Of Schools & Hostels तथा Ledger Id -17221 में CFMS के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। इसका संव्यवहार (Transaction) नियमानुसार प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना द्वारा किया जायेगा। राशि के व्यय की पूर्ण जिम्मेवारी बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना की होगी। राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।"

8–पूर्व में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–28 दिनांक–20.03.2026 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

9–विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–28 दिनांक–20.03.2026 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

10–प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11–प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12–इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

09/10/2026

(ऋषि कुमार),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/4/वि0यो0–22–04/2022– 112, पटना, दिनांक– 12/10/2026

प्रतिलिपि–हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09/10/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/4/वि0यो0–22–04/2022– 112, पटना, दिनांक– 12/10/2026

प्रतिलिपि–प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/मगध प्रमंडल, गया जी/मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/सारण प्रमंडल, छपरा/पटना प्रमंडल, पटना/जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पटना/नवादा/अरवल/किशनगंज/बेगूसराय/गोपालगंज/प्रभारी प्रधानाध्यापक, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, पटना (अथमलगोला)/नवादा/अरवल/किशनगंज/बेगूसराय/गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09/10/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0/4/वि0यो0–22–04/2022– 112, पटना, दिनांक– 12/10/2026

प्रतिलिपि–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09/10/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0/4/वि0यो0–22–04/2022– 112, पटना, दिनांक– 12/10/2026

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

09/10/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–पि0व0/4/वि0यो0–22–04/2022– 112, पटना, दिनांक– 12/10/2026

प्रतिलिपि–माननीया मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

09/10/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।